राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7442/2016

राम कुमार प्रजापत पुत्र श्री राम मिलन जी प्रजापत, आयु 63 वर्ष, निवासी तिलक नगर, गली नं. 3, सेक्टर-4, गुरुद्वारा के पीछे, बीकानेर (सेवानिवृत्त रसोइया, राजकीय सरदूल खेल विद्यालय, बीकानेर, शिक्षा विभाग, राजस्थान)। ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बीकानेर, राजस्थान।

4. प्रधानाचार्य, राजकीय सरदूल खेल विद्यालय, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री एस.पी. शर्मा

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री श्रवण कुमार

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

10/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों की ओर से याचिकाकर्ता को चपरासी मानने में निष्क्रियता से उत्पन्न हुई है, जबकि उसे रसोइया के पद पर नियुक्त किया गया था और रसोइया के पद के लिए स्वीकार्य सेवा लाभ प्रदान नहीं किए गए।

2. रिट याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 24.07.1976 के आदेश के तहत नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सार्दुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर में रसोइया-सह-क्लीनर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने रसोइया के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनका वेतन 2610-3540 रुपये के वेतनमान में निर्धारित किया गया था और वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र की अगली तिथि 10.07.2021 थी। प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी के पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया था, जबकि वह कुक के पद के लिए स्वीकार्य वेतनमान का हकदार था, जो प्रासंगिक समय पर 2950-4475 रुपये तथा ग्रेड वेतन 1800 रुपये था, क्योंकि उक्त पद अर्धकुशल पद था तथा दिनांक 08.07.2002 के आदेश के अनुसार विभाग द्वारा उसका पद कुक दर्शाया गया है।

2.1 जब याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी सेवक के रूप में भृत्य का वेतनमान स्वीकृत किया गया, तो उसने कुक के पद पर अपना वेतन निर्धारण करने की मांग की, क्योंकि कुक का वेतनमान चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग में भृत्य से अधिक था। दिनांक 15.07.2005 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि प्रदान की गई तथा उसके तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम के सामने 2750-4400 रुपये का वेतनमान अंकित किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का पद अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दर्शाया गया था, जबकि वह विद्यालय में अकेला रसोइया था, लेकिन उसे रसोइया के पद के लिए स्वीकार्य वेतनमान से वंचित रखा गया।

2.2 याचिकाकर्ता की सेवाएं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1963 द्वारा शासित थीं, जिसमें मुख्य रसोइया का पद भी शामिल था और यह पदोन्नति वाला पद था, जिसे रसोइया के फीडर पद से 100% पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। 1963 के इन नियमों को बाद में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1999 नामक नए नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो आज तक अस्तित्व में हैं। इस प्रकार, उक्त प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता मुख्य रसोइया के पद पर पदोन्नति का हकदार था, जो उसे उसकी 37 वर्ष की लम्बी सेवा के दौरान कभी नहीं दी गई, न ही अभिलेखों में ऐसा कुछ है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर किसी चयन वेतनमान का लाभ दिया गया था।

2.3. सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर याचिकाकर्ता को 31.12.2023 के आदेश द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिसमें उसका पद हेल्पर दर्शाया गया। तत्पश्चात पी.पी.ओ. में उसका पद चपरासी दर्शाया गया, जबकि याचिकाकर्ता को रसोइया के पद पर नियुक्त किया गया और उसने रसोइया के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।

2.4. याचिकाकर्ता ने अपना पी.पी.ओ. और पेंशन लाभ प्राप्त करने के पश्चात, प्रतिवादियों को दिनांक 10.09.2014 को एक कानूनी नोटिस दिया, जिसमें उसने रसोइया के पद पर अपने सही वेतन निर्धारण की मांग की। प्रस्तुत है कि केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमान वर्ष 1988, 1998 एवं 2008 में संशोधित किये गये थे। याचिकाकर्ता को चतुर्थ

श्रेणी कर्मचारी मानकर उसका वेतन चपरासी के पद पर निर्धारित किया गया, जबकि उसका वेतन रसोइया के पद पर निर्धारित होना चाहिए था। 6वें वेतन आयोग के लागू होने तथा नए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 लागू होने पर याचिकाकर्ता को नए संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तथा तदनुसार दिनांक 12.11.2008 के आदेश द्वारा उसका वेतनमान संशोधित किया गया तथा याचिकाकर्ता को अक्टूबर, 2008 से 5200-20200/- रुपए के वेतनमान में रखा गया तथा उसका वेतन निर्धारण 01.09.2006 से 2750-4400/- रुपए के वेतनमान में किया गया।

3. प्रतिवादियों द्वारा बचाव में यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील का वैकल्पिक उपाय है, हालांकि याचिकाकर्ता ने सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3.1. याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुआ था तथा वर्ष 2016 में वर्तमान रिट याचिका दायर कर उसने सभी परिणामी लाभों के साथ प्रधान रसोइया के पद पर पदोन्नति का दावा किया है। इस प्रकार, रिट याचिका विलम्ब और लापरवाही के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। पेंशन विभाग को पक्षकार बनाये बिना पेंशन संशोधन का दावा कायम नहीं रखा जा सकता।

3.4. 24.07.1976 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था तथा उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सभी सेवा लाभ मिल रहे थे। 15.07.2005 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता का वेतन विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ संशोधित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बताया गया था तथा उसने

कभी इसके खिलाफ कोई विरोध नहीं जताया।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिस्पर्धी तर्क सुने हैं तथा मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें कुक के पद के लिए स्वीकार्य वेतनमान प्रदान किया जाए, जिसमें सभी परिणामी लाभ शामिल हों।

6. रिट याचिका में शामिल विवादित तथ्यों पर केवल हलफनामे के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। किसी भी मामले में, रिट याचिका याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के ढाई साल से अधिक समय बाद एक विचार के रूप में दायर की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा, उनका दावा है कि उन्हें शुरू में कुक-कम-क्लीनर के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन तब से वे कुक के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुक का वेतन दिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत, प्रतिवादी का रुख यह है कि 24.07.1976 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सभी सेवा लाभ मिल रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किए गए इस तर्क में दम प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की कुक के रूप में सेवाएं, भले ही दी गई हों, पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति की थीं और इससे उनका पदनाम नहीं बदलता। हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

7. रिट याचिका खारिज की जाती है।

8. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी खारिज माने जाएंगे।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।